खबर संक्षेप

ड्राइवर ने डिवाइडर पर चढ़ाई बस पलटी, बियर कंपनी के 15 कर्मचारी घायल

भोपाल। हादसे में बस में सवार ड्राइवर-कंडक्टर सहित सोम डिस्टिलरीज के करीब 15 कर्मचारी घायल हो गए। भोपाल-नर्मदापुरम रोड पर बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के सामने एक कंपनी की बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में बस में सवार ड्राइवर-कंडक्टर सहित सोम डिस्टिलरीज के करीब 15 कर्मचारी घायल हो गए। इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद राहगीरों और पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को घटना स्थल के पास ही स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया। ड्राइवर हेमंत, मनोज यादव और अनिल मीणा की हालत चिंताजनक है। वीडी शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की हालत भी गंभीर है, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। बाग सेवनिया टीआई अमित सोनी के मुताबिक बीयू के सामने बस बेकाबू होने के बाद डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2.35 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही थाने से करीब 15 जवानों को मौके पर रवाना किया गया।

भोपाल में नाबालिग से रेप करने वाले को उम्रकैद

भोपाल। भोपाल की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमुदिनी पटेल ने 14 साल की नाबालिग को अगवा कर रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने मामले में पैरवी की थी। आरोपी शरीफ अता ने 9 दिसंबर 2019 को पीड़िता को गोविंदपुरा इलाके से अगवा किया था। उसे सीहोर ले जाने के बाद एक कमरे में बंधक बनाकर ज्यादती की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। 9 दिसंबर 2019 को पीड़िता के पिता ने गोविन्दपुरा थाने पहुंचने के बाद बताया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी शरीफ अता दूध लेने का कहकर अपने साथ ले गया। इसके बाद से ही आरोपी नहीं लौटा था। शरीफ अता पीड़िता के भाई के दोस्त का मुंह बोला चाचा था। जो घटना के आठ दिन पहले से पीड़िता के घर में रह रहा था। दो दिन बाद पुलिस ने बच्ची को सीहोर से दस्तयाब किया था। तब पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि आरोपी उसे दूध दिलाने का बोलकर साथ ले गया। जबरन नादरा बस स्टैंड तक ले गया और वहां से सीहोर लेकर चला गया। वहां एक बूढ़ी अम्मा के कमरे में उसे बंधक बनाकर रखा और गलत काम किया।

चांटे का बदला लेने युवक की बाइक जलाई

भोपाल। टीला जमालपुरा नगर निगम कॉलोनी में रहने वाले युवक की बाइक को तीन बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। जिस युवक की बाइक को जलाया गया, पूर्व में उसने आरोपियों में से एक को चांटा मारा था। इसी का बदला लेने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फिलहाल फरार है। गिरफ्तार आरोपियों का बुधवार की दोपहर को जुलूस निकाला गया। घटना मंगलवार की देर रात की है। टीआई डीपी सिंह के मुताबिक फराज खान (32) नगर निगम कॉलोनी में रहता है। उसने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी साहिल हनुमानगंज थाने का निगरानी बदमाश है। उसके साथी शब्बर और औबेज भी बदमाश हैं। तीनों मंगलवार की रात को उसके घर आए। आरोपियों ने बाहर बुलाने के बाद शराब पिलाने के लिए 500 रुपए की मांग की। मांग पूरी नहीं करने पर आरोपियों ने उसके दो पहिया वाहन में आग लगा दी। इसके बाद फराज से मारपीट कर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की तलाश की गई।

आयुष्मान आरोग्य शिविरों में 12 हजार से अधिक नागरिक लाभान्वित

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

भोपाल जिले के 130 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आरोग्य शिविर आयोजित किए गए। शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक्स में आयोजित शिविरों में 12856 हितग्राही स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित हुए। शिविरों में संचारी एवं असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं, आयुष सेवाएं, टेली कंसल्टेशन, टीकाकरण बैलेंस गतिविधियां सहित विभिन्न स्वास्थ्य दी गई। साथ ही नागरिकों को लू और अधिक तापमान से होने वाली बीमारियों के बचाव के बारे में जानकारी भी दी गई। शिविरों में के लिए 4781 की उच्च रक्तचाप एवं 4150 नागरिकों की मधुमेह स्क्रीनिंग की गई। 2908 लोगों की ओरल कैंसर,1552 की स्तन कैंसर एवं 913 की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की गई। क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 588 टीबी स्क्रीनिंग की गई। 618 हितग्राहियों की मोतियाबिंद जांच एवं 282 की कुष्ठ रोग जांच की गई। 400 से अधिक गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का टीकाकरण किया गया। शिविरों में 149 हितग्राहियों को टेली कंसल्टेशन सेवाएं भी दी गई। 3755 हितग्राहियों को योग, भोजन एवं जीवन शैली सम्बन्धी परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य मेलों के आयोजन के दौरान आम नागरिकों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जन आरोग्य समिति के सदस्यों एवं महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को भी शामिल किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयोजित शिविरों को स्वास्थ्य परीक्षण तक ही सीमित नहीं रखा गया है , बल्कि इनके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। योग, उचित खानपान स्वस्थ जीवनशैली के लिए वैलनेस गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

आम नागरिकों से अभ्यास के दौरान शांति बनाए रखने और अफवाहों से सावधान रहने की अपील

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के संयुक्त तत्वाधान में 17 अप्रैल 2025 को प्रातः 09.30 से दोपहर 01.30 बजे तक सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने, रासायनिक औद्योगिक आपदा पर मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने तथा जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री लाखन सिंह चौधरी ने बताया कि 17 अप्रैल 2025 को भोपाल सहित प्रदेश के 10 जिलों में रासायनिक औद्योगिक आपदा पर आधारित मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा, इस संदर्भ में आम जनता में जागरूकता फैलाने एवं किसी भी प्रकार की घबराहट से बचाव के लिये पूर्व सूचना देना अत्यंत आवश्यक है. यह केवल एक प्रशिक्षण प्रक्रिया है, और आम नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिले के आम नागरिकों से अपील है कि अभ्यास के दौरान शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की घबराहट से बचें, मॉक अभ्यास क्षेत्र में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें और दूसरों को सही जानकारी प्रदान करें. यदि किसी भी असुविधा का अनुभव हो, तो तुरंत निकटतम प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करें।

जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण को लेकर जन-जागरूकता अभियान

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

जल गंगा संवर्धन अभियान- 2025 के अंतर्गत भोपाल जिले में जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर जन-सहभागिता आधारित गतिविधियाँ संचालित की गईं। जिला प्रशासन और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में बैरसिया स्थित खेजड़ा घाट की बाह्य नदी में छात्रों द्वारा साफ-सफाई के साथ बोरी बंधान का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, हथाईखेड़ा डेम में भी सफाई कार्य संपन्न हुआ।

इसी क्रम में वन विहार के समीप स्थित छोटे तालाब में नगर निगम भोपाल के सहयोग से पानी की सतह पर उगी हुई घास को हटाकर तालाब की सफाई की गई। इस श्रमदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के छात्र, जन अभियान परिषद के जिला एवं विकासखंड समन्वयक तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और समुदाय को जल स्रोतों की स्वच्छता एवं सतत विकास के लिए प्रेरित करना है। इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा भी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर-बैनर और चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली छात्रों को जल संरक्षण का संदेश देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रचना नगर, गौतम नगर-रोहित नगर में कल बिजली कटौती

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल के करीब 50 इलाकों में गुरुवार को 30 मिनट से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। यहां बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। जिन इलाकों में बिजली गुल रहेगी, उनमें रचना नगर, गौतम नगर, रोहित नगर, नारियल खेड़ा, जनता क्वार्टर, बैंक कॉलोनी, वैशाली नगर, आशीर्वाद कॉलोनी, ज्योति नगर समेत कई बड़े रहवासी इलाके भी शामिल हैं। ऐसे में लोग जरूरी काम पहले से निपटा लें। ताकि, बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें परेशान न होना पड़े। सुबह 6 से 6.30 बजे तक रचना नगर, कस्तूरबा नगर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी एवं आसपास। सुबह 10 से 11 बजे तक सनखेड़ी, सिद्धि सैफरान सिटी, राजहर्ष ए सेक्टर, बांसखेड़ी, सिटी विस्तार कॉलोनी एवं आसपास। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ग्लोबल पार्क सिटी, संत आशाराम फेस-3, कंट्री स्काय एवं आसपास के इलाके। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कमला नगर, बापू नगर, ऋषि परिसर, वैशाली नगर एवं आसपास। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक फिरदोस नगर, शीतला नगर, निशातपुरा, श्री नगर, सरदार नगर, नारियल खेड़ा एवं आसपास।

अनुसूचित जाति वर्ग स्वरोजगार स्थापित करने शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ले लाभ

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भोपाल ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजनाएं संचालित की जा रही है।

संत रविदास स्वरोजगार योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए एक लाख से 50 लाख रूपए तक, एक लाख से 25 लाख रूपए तक सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 18 से 45 वर्ष आयु एवं न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, बैंक से प्राप्त ऋण पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा। योजना डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10 हजार से एक लाख रूपए तक का ऋण दिया जाएगा। आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए, शिक्षा का बंधन नहीं है। बैंक से प्राप्त ऋण पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक दिया जाएगा।

सावित्री बाई फुले स्व- सहायता समूह योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं को जिनका बीपीएल राशन कार्ड एवं समग्र आईडी हो, अनुसूचित जाति की महिलाओं के समूह गठित कर, लघु / कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से प्रत्येक महिला को अधिकतम 50 हजार रूपए तक का ऋण एवं विभाग द्वारा प्रत्येक महिला को 10 हजार अनुदान दिया जाएगा। समूह में कम से कम 5 महिला सदस्य होना चाहिए। इस योजना के आवेदन कार्यालय में सीधे जमा करें।

एनसीसी कैडेट्स के लिए सीएमएचओ कार्यालय द्वारा विशेष स्वास्थ्य

60 से अधिक आभा आईडी बनी, सिकल सेल स्क्रीनिंग के साथ सभी पैथोलॉजी जांचें भी हुई

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर मुख्यालय में एनसीसी कैडेट्स के लिए विशेष स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सिकल सेल एवं हीमोफिलिया रोग की जांच की गई, साथ ही कैडेट्स का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

शिविर में आर्मी, नेवल एवं एयरफोर्स के 81 कैडेट्स ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। 61 कैडेट्स की आभा आईडी बनाई गई। शिविर में राष्ट्रीय कैडेट कोर भोपाल के कमांडर ब्रिगेडियर अजीत सिंह, कर्नल दुष्यंत, कैप्टन राहुल गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हुए।

इस अवसर पर एनसीसी निदेशालय मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी कैप्टन डॉ. चंद्र बहादुर सिंह दांगी ने सिकल सेल के लक्षणों,जांच एवं बचाव के बारे में जानकारी दी। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि माता-पिता से बच्चों में पहुंचती है। यह भारत की जनजातीय आबादी में अधिक पाया जाता है, लेकिन अन्य समुदायों में भी यह बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी में शरीर के अंगों में दर्द, शारीरिक विकास में कमी एवं खून की कमी मुख्य लक्षण है। यह बीमारी फेफड़े, हृदय, गुर्दे, आंखों, हड्डियों और मस्तिष्क जैसे कई अंगों को भी प्रभावित करती है। यह जनजातीय समूहों, विशेष रूप से मलेरिया बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोगों में व्यापक रूप से पाया जाता है। आजादी के शताब्दी वर्ष के तहत देश को 2047 तक सिकल सेल रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन के तहत कार्य किया जा रहा है। नेशनल सिकल सेल पोर्टल एवं डैशबोर्ड के माध्यम से कार्यक्रम की मॉनीटरिंग भी की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रभाकर तिवारी ने बताया कि सिकल सेल के प्रसार को रोकने के लिए वैवाहिक संबंध, जेनेटिक कार्ड के मिलान के बाद किया जाना बेहद जरूरी है। समय पर चिन्हांकन, जेनेटिक कॉउंसलिंग, वाहक और पीड़ित की ट्रेकिंग कर बीमारी के प्रसार को कम किया जा सकता है।

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार नजूल टी.टी. नगर (कुनाल राउत), तहसील टी.टी. नगर, जिला भोपाल

सार्वजनिक नोटिस

जावक क्रमांक
मामला क्रमांक 0445/अ-6/2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **26/03/2025** को बजे स्थान **टी.टी.नगर** में इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अनुसूचीः- ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद ख.न. 91/3 का अंश भाग क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट का फौती नामान्तरण हेतु।
आवेदक -रामकली यादव पत्नी स्व. श्री बी.जी. यादव
आज दिनांकः को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।
दिनांक :
स्थानः टी.टी.नगर

(कुनाल राउत)
तहसीलदार
राजधानी परियोजना भोपाल

कार्यालय पटवारी प ह न 76 रा नि वृत्त- 8 पलासी, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ वृत्त) भोपाल

क्रमांक/ Q/प ह न-76/2024
भोपाल, दिनांक-11/04/2025

// बटन बाबत् सूचना पत्र //

1. मैसर्स कम्फर्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा भागीदार श्री जतिन्दर चड्डा पुत्र स्व. श्री बी एस कौमी नि. 116 गुरुनानक पुरा रायसेन रोड भेपाल मध्य प्रदेश। 2. श्री अनिकेत सक्सेना आ श्री गोपाल कृष्णा सक्सेना नि 45 जैन मंदिर रोड चौक भोपाल । 3. श्री महेंन्द्र कुमार डागा आ श्री चांदमल दागा नि कोहेफिजा भोपाल।
5. श्री प्रवीण तांतेड आ श्री महेश तांतेड नि 67 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहेफिजा भोपाल। 6. श्रीमति गीता खूबचंदानी आ राजेश खूबचंदानी हि 98 बी सेक्टर विजय नगर लालघाटी, भोपाल 7.श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी अर्जुनदास खूबचंदानी नि भोपाल
एवं सर्वसाधारण हितबद्ध पक्षकार एवं मेड पडोसी। उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) वृत्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 0049/अ-3/2024-25 के अनुसार मुझे पटवारी वृत्त संत हिरदाराम नगर बैरागढ तहसील हुजूर भोपाल आवेदक मैसर्स कम्फर्ट बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा भागीदार श्री जतिन्दर चड्डा पुत्र स्व श्री बी एस कौमी नि 116 गुरूनानक पुरा रायसेन रोड भेपाल के स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक- 110-111/4/7 रकबा 0.2020 हैक्टेयर की बटांन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये है।
अंतः उक्त आदेश के पालन में मेरे द्वारा दिनांक-17/04/2025 को समय - 01:00 बजे से बटांन हेतु मौका स्थल पटवारी चालू नक्शा शीट एवं टी एस एम मशीन से मौका उठाने का कार्य किया जायेगा तत्पश्चात बटान बनायी जाएगी। बटान किये जाने हेतु स्थल निरीक्षण की जांच एवं मौके की माप प्रारंभ किया जाना निश्चित किया गया है।
आपको पड़ोसी कृषक/हितबद्ध पक्षकार होने के कारण सूचित किया जाता है कि आप भी बटान को संनिर्मित की कार्यवाही समय भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
अनावेदक/ आवेदक मौके पर मूल विक्रय पत्र सहित उपस्थित रहें।
आपकी अनुपस्थिति की दशा में बटांन की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी ।

पटवारी
पहन-76

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/6603/2025

इश्तहार

आवेदक अमित तिवरी आ./पत्नि रामगोपाल तिवारी निवासी कोलार द्वारा ग्राम अकबरपुर स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 6/16 खसरा-75.82, 86/1/1, 86/1/2, 32/2 क्षेत्रफल 600 वर्गफीट फौती के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/6605/2025

इश्तहार

आवेदक ज्योत्सना पाण्डेय आ./पत्नि ईश्वर दयाल चौरसिया निवासी पत्रकार कॉलोनी टी.टी. नगर द्वारा ग्राम बोरदा स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर-113 खसरा क्रमांक-11 क्षेत्रफल 840 वर्गफिट पर विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/1541/2025

इश्तहार

आवेदक संतोष गुप्ता आ./पत्नि श्री शरदचन्द गुप्ता निवासी भोपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा नंबर डुप्लेक्स नं. 19 क्षेत्रफल 98.51 वर्गमीटर का विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

क्रमांक 5016/अ-6/2024-25

//इश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक रजनी केवट पत्नी अजय कुमार केवट ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम रतनपुर सडक स्थित भूमि खसरा क्रमांक 238/240/2/2 व अन्य के भूखण्ड क्रमांक-एलआईजी ए/5/12 का क्षेत्रफल 1160 वर्गफिट का रजिस्टर्ड/पत्र क्रमांक दिनांक 1/02/2011 के आधार पर नामान्तरण किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 11/4/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

प्रारूप दस

न्यायालय नायब तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल

रा.प्र. 1546/अ-6/2024-25

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **22/04/25** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-रूसल्ली, 2. खसरा नंबर- 47/5, 3. क्षेत्रफल-600 वर्गफिट, 4. उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) फरजाना बी/मुबीन खान।
आज दिनांक 16/04/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर, (बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-कोलार, भोपाल

प्र. क्रमांक 0001/अ-63/2025-26

//इश्तहार//

श्रीमति बीना भण्डारी पत्नी पी.के. भण्डारी
निवासी एम-41 सेक्टर 3ए साकेत नगर जिला भोपाल
..........आवेदिका
विरूद्ध
1.म.प्र. शासन
2. सर्वसाधारण
.....अनावेदक

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमति बीना भण्डारी पत्नी श्री पी.के. भण्डारी निवासी एम-41 सेक्टर 3 ए साकेत नगर जिला भोपाल द्वारा ग्राम देहरीकलां तहसील कोलार जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 51/13 क्षेत्रफल 0. 0900 हेक्टेयर भूमि का राजस्व अभिलेख (पटवारी नक्शा) में अंकित अक्स बटान दुरूस्त करने बाबत आवेदन पत्र सुसंगत दस्तावेजों के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो कि न्यायालयीन कार्यवाही में प्रचलित है।
आवेदिका द्वारा आवेदित प्रश्नाधीन भूमि के अक्स बटान दुरूस्ती हेतु पडोसी खाताधारियों का स्पष्ट पता नहीं होने से प्रकरण में सूचना पत्र जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
अतः मामले में अनावेदक/किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने से पेशी दिनांक 23/04/2025 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से जबाब/आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील-कोलार जिला- भोपाल